ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2017/ 62956

दिनांकः 28 .11.2017

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक क्षेत्र के ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनका आबंटन 30.09.2011 से पूर्व का है, के आबंटियों की समस्याओं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत औद्योगिक विकास के हित में औद्योगिक भूखण्डों की लीजडीड एवं कियाशील कराने का अन्तिम अवसर पुनः प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 110 बैठक दिनॉक 20.11.2017 को प्रस्ताव मद संख्या–110/11 पर प्रस्तुत किया गया था।

सैक्टर इकोटेक–11 को छोडकर अन्य सैक्टरों के भूखण्ड जिनकी लीजडीड दिनॉक 30.11.2016 तक नहीं हो सकी है। ऐसे भूखण्डों की लीजडीड निष्पादित कराने हेतु अन्तिम तिथि 31.01.2018 तक प्राधिकरण बोर्ड दिनॉक 20.11.2017 में लिये गये निर्णय के कम में निर्धारित विलम्ब शुल्क सहित इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अन्तिम तिथि 31.01.2018 तक लीजडीड न करा पाने की स्थिति में भूखण्ड स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के कम में निर्गत किया जा रहा है।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकरी

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को विशेष कार्याधिकारी के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नि0/परि0) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. उप महाप्रबन्धक (उद्योग)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 62956
5. गार्ड फाईल।

Bal Kr

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकरी